-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **पानी की बोतलो में अवैध अपमिश्रित अंग्रेजी शराब की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना जसपुरा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- ❖ **अभियुक्तों के कब्जे से करीब 30 लीटर अवैध अपमिश्रित अंग्रेजी शराब, अवैध शराब की बिक्री के 80 हजार रुपए सहित 75 अंग्रेजी शराब की खाली बोतलें व परिवहन में प्रयुक्त एक चारपहिया वाहन बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शराब की बिक्री व निष्कर्षण करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जसपुरा पुलिस द्वारा पानी की बोतलों में अवैध अपमिश्रित अंग्रेजी शराब की बिक्री करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 09/10.05.2026 की रात्रि थाना जसपुरा पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान थाना जसपुरा क्षेत्र के रामपुर चौडगरा चौराहे पर एक चारपहिया वाहन रामपुर गांव की तरफ से आते समय पुलिस को देखकर वापस मुड़कर जाने की कोशिश करने लगी। पुलिस को शक होने पर तत्काल घेराबन्दी करते हुए वाहन को रोक लिया गया तथा चारपहिया वाहन में बैठे व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी से 30 पानी की बोतलों में अवैध अंग्रेजी शराब, 80 रुपए व 75 अंग्रेजी शराब की खाली बोतले बरामद हुई। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे इसी चारपहिया वाहन से अंग्रेजी शराब को ठेको से खरीदकर इन पानी की बोतलो में भर लेते है उसके पश्चात किसी सुनसान स्थानों पर जाकर इस अंग्रेजी शराब में केमिकल मिलाकर इसकी तीव्रता बढ़ा लेते है उसके बाद इन खाली शराब की बोतलो में पुनः भरकर अधिक लाभ के साथ इसको बेच देते है, ये 80 हजार रुपए भी उसी अपमिश्रित अंग्रेजी शराब की बिक्री के है। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए अवैध अपमिश्रित शराब, रुपए व चारहिया वाहन आदि को कब्जे में लेकर थाना जसपुरा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- ➢ 30 पानी की बोतलों अवैध अपमिश्रित अंग्रेजी शराब करीब 30 लीटर
- ➢ 80 रुपए नकद (अवैध अपमिश्रित अंग्रेजी शराब की बिक्री से प्राप्त)
- ➢ 01 चारपहिया वाहन डस्टर (अपमिश्रित शराब के परिवहन में प्रयुक्त)
- ➢ 75 अंग्रेजी शराब की खाली बोतले

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. योगेश पुत्र पन्ना लाल निवासी अलोना थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. जितेन्द्र पुत्र बृजेश निवासी खिन्नीनाक थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- ➢ मु0अ0सं0 66/26 धारा 318(4)/274 बीएनएस व 60 आबकारी अधिनियम थाना जसपुरा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री ऋषिदेव सिंह प्र0नि0 थाना जसपुरा
2. उ0नि0 श्री धर्मचन्द्र
3. रि0कां0 राजकुमार बिन्द
4. रि0कां0 अंकित चौधरी
5. पीआरडी संतोष